दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण / केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11–क के अंतर्गत मुख्य योजना–2021 / ज़ोन 'ई' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्–द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो / कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति / सुझाव इस सूचना की तिथि से **तीस (30) दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पते के साथ टेलीफोन नम्बर / संपर्क नम्बर भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधनः

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दि.मु.यो.-2021 और ज़ोन-ई की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है।	सीमाएं
योजना ज़ोन 'ई' में आने वाला शास्त्री पार्क, नई दिल्ली।	19800 वर्ग मीटर	मनोरंजनात्मक	सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक	**उत्तरः** ज़ोन–ई की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार 30 मीटर मार्गाधिकार सड़क। **दक्षिणः** ज़ोन–ई की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार ज़िला केंद्र। **पूर्वः** जग प्रवेश चंद्र अस्पताल। **पश्चिमः** ज़ोन–ई की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार 30 मीटर मार्गाधिकार सड़क।

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ / नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में **उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली** में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ / नक्शा दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् **www.dda.org.in** पर भी उपलब्ध रहेगा।

हस्ता. / –
(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

फाइल सं.: एफ 20(7)2019 / एम.पी.
दिनांकः 03.09.2019
स्थानः नई दिल्ली।

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें या 39898911 डायल करें"